भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1046

05 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उत्तराखंड में आवंटित आवास

1046. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड के विभिन्न नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत स्वीकृत नए आवासों की संख्या कितनी है;
(ख) इन आवासों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया और सहायता राशि के संवितरण का ब्यौरा क्या है; और
(घ) भविष्य में उत्तराखंड के शहरी गरीबों को अतिरिक्त आवास प्रदान करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्यन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित

निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और उत्तराखंड राज्य सहित देश भर में 22.01.2026 तक 97.02 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य में पीएमएवाई-यू के तहत अब तक कुल 66,577 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 2,972 आवास शामिल हैं। इनमें से 63,525 आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 22.01.2026 तक 51,565 आवास पूर्ण हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक भी अपने सभी विवरणों के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदन और मांग दर्ज करवा सकते हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र /यूएलबी योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर लाभार्थी सूचियों का चयन/जांच की जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए योजना दिशानिर्देश और एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि आगे केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जा सके।

*****